

पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम-02-05/2022/16(अ७)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना दिनांक: 09/6/26

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13(स्वी०) दिनांक 27.05.2026 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹66,00,00,000.00 (छियासठ करोड़ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय संकल्प संख्या 5465 दिनांक 17.09.2021 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13(स्वी०) दिनांक 27.05.2026 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना मद से कुल ₹66,00,00,000.00 (छियासठ करोड़ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना मद से कुल ₹66,00,00,000.00 (छियासठ करोड़ रुपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

क्र०	जिला का नाम	16-2515001980115	16-2515007890115	16-2515007960120	कुल आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि
		Subject Head-31.05	Subject Head-31.05	Subject Head-31.05	
1	2	3	4	5	6
1	Araria	77,56,973.00	28,53,067.00	2,58,135.00	1,08,68,175.00
2	Arwal	27,70,539.00	10,19,023.00	92,197.00	38,81,759.00
3	Aurangabad	1,93,05,212.00	71,00,587.00	6,42,434.00	2,70,48,233.00
4	Banka	1,73,62,882.00	63,86,185.00	5,77,798.00	2,43,26,865.00
5	Begusarai	92,48,524.00	34,01,670.00	3,07,770.00	1,29,57,964.00
6	Bhagalpur	1,81,38,713.00	66,71,541.00	6,03,616.00	2,54,13,870.00
7	Bhojpur	8,22,503.00	3,02,522.00	27,371.00	11,52,396.00
8	Buxar	30,73,906.00	11,30,604.00	1,02,293.00	43,06,803.00
9	Darbhanga	1,14,73,756.00	42,20,125.00	3,81,821.00	1,60,75,702.00
10	East Champaran	2,85,68,546.00	1,05,07,704.00	9,50,697.00	4,00,26,947.00
11	Gaya	2,06,18,493.00	75,83,621.00	6,86,137.00	2,88,88,251.00
12	Gopalganj	2,04,71,240.00	75,29,460.00	6,81,237.00	2,86,81,937.00
13	Jamui	1,05,71,642.00	38,88,321.00	3,51,801.00	1,48,11,764.00

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2026-27\State Scheme\Solar Street Light Scheme\Letter.docx

[Signature]

[Signature]

[Signature]

P.T.O

14	Jehanabad	57,54,505.00	21,16,546.00	1,91,497.00	80,62,548.00
15	Kaimur	44,72,914.00	16,45,168.00	1,48,849.00	62,66,931.00
16	Katihar	91,56,079.00	33,67,668.00	3,04,694.00	1,28,28,441.00
17	Khagaria	26,29,340.00	9,67,089.00	87,499.00	36,83,928.00
18	Kishanganj	19,62,468.00	7,21,809.00	65,307.00	27,49,584.00
19	Lakhisarai	60,59,995.00	22,28,907.00	2,01,663.00	84,90,565.00
20	Madhepura	1,77,02,619.00	65,11,143.00	5,89,103.00	2,48,02,865.00
21	Madhubani	3,67,64,758.00	1,35,22,326.00	12,23,449.00	5,15,10,533.00
22	Munger	64,76,035.00	23,81,929.00	2,15,508.00	90,73,472.00
23	Muzafarpur	2,00,32,283.00	73,68,009.00	6,66,629.00	2,80,66,921.00
24	Nalanda	81,68,777.00	30,04,531.00	2,71,839.00	1,14,45,147.00
25	Nawada	1,74,39,837.00	64,14,490.00	5,80,359.00	2,44,34,686.00
26	Patna	1,29,75,138.00	47,72,343.00	4,31,783.00	1,81,79,264.00
27	Purnia	88,91,263.00	32,70,267.00	2,95,881.00	1,24,57,411.00
28	Rohtas	81,49,834.00	29,97,564.00	2,71,208.00	1,14,18,606.00
29	Saharsa	1,04,41,069.00	38,40,296.00	3,47,455.00	1,46,28,820.00
30	Samastipur	1,67,77,001.00	61,70,694.00	5,58,301.00	2,35,05,996.00
31	Saran	1,35,61,019.00	49,87,834.00	4,51,280.00	1,90,00,133.00
32	Sheikhpura	52,06,723.00	19,15,068.00	1,73,268.00	72,95,059.00
33	Sheohar	20,70,104.00	7,61,398.00	68,888.00	29,00,390.00
34	Sitamarhi	1,95,62,345.00	71,95,163.00	6,50,991.00	2,74,08,499.00
35	Siwan	2,89,16,350.00	1,06,35,629.00	9,62,271.00	4,05,14,250.00
36	Supaul	54,07,261.00	19,88,827.00	1,79,941.00	75,76,029.00
37	Vaishali	1,70,78,809.00	62,81,701.00	5,68,344.00	2,39,28,854.00
38	West Champaran	1,52,19,045.00	55,89,171.00	5,22,186.00	2,13,30,402.00
Total		47,10,58,500.00	17,32,50,000.00	1,56,91,500.00	66,00,00,000.00

छियासठ करोड़ रुपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-16 के राज्य योजना मद से निम्नरूपेण की जायेगी :-

क्र०	योजना शीर्ष	राशि रुपये में
1	“मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0115-स्वच्छ गाँव-निश्चय-2 कार्यक्रम”। विपत्र कोड-16-2515001980115 विषय शीर्ष-0115.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण।	471058500.00
2	“मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0115-स्वच्छ गाँव-निश्चय-2 कार्यक्रम”। विपत्र कोड-16-2515007890115 विषय शीर्ष-0115.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण।	173250000.00
3	“मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-स्वच्छ गाँव-उपशीर्ष-0120-स्वच्छ गाँव-निश्चय-2 कार्यक्रम”। विपत्र कोड-16-2515007960120 विषय शीर्ष-0120.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण।	15691500.00
कुल : (छियासठ करोड़ रुपये मात्र)		660000000.00

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13(स्वी०) दिनांक 27.05.2026 में दिये गये निदेश के आलोक में नियमानुसार करेंगे।
5. इस आवंटित राशि का उपयोग विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5465 दिनांक 17.09.2021, पत्रांक 7335 दिनांक 29.07.2022 एवं समय-समय पर निर्गत विभागीय अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।
6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
7. संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा की वे अपने जिला के लिए स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
8. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
9. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
10. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या : 5प/राज्य स्कीम-02-05/2022 के पृष्ठ संख्या124...../टि० पर दिनांक 04/06/2026 को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-05/2022/16/आ०/पं०रा० पटना, दिनांक 09/6/26
प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, ब्रेडा, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी-03, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम-02-05/2022/16/आ०/पं०रा० पटना, दिनांक 9/6/26
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

४